न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 03/2018 – रेफरेन्स

1 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आसीन्द	1. बजरंगदान पिता भवानीदान चारण निवासी आमेसर तहसील आसीन्द
–प्रार्थी	–विपक्षीगण

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 रेफरेन्स प्रस्तुति बाबत्

उपस्थित –

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 19.06.2019

प्रार्थी तहसीलदार, आसीन्द ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया कि ग्राम आमेसर तहसील आसीन्द के गत भूप्रबन्ध में जमाबन्दी संवत् 2026 से 2029 के अनुसार साबिक आराजी नं. 34/1 रकबा 165 बीघा भूमि खातेदारी श्री भवानीदान चारण पिता करणीदान चारण के नाम दर्ज रिकार्ड थी जो कि अप्रार्थी बजरंगदान चारण के पिता है। अप्रार्थी बजरंगदान के पिता भवानीदान की भूमि सिलिंग अधिनियम से प्रभावित हो रही थी जिससे बचने के लिये खातेदार ने सिलिंग कार्यवाही से पूर्व ही दिनांक 20.09.1975 संवत् 2032 को आराजी नं. 34/1 में से रकबा 39.00 बीघा भूमि का विक्रय अप्रार्थी के पक्ष में कर दिया था।

खातेदार भवानीदान चारण की भूमि सिलिंग से प्रभावित होने के कारण जरिये नामान्तरकरण सं. 941 दिनांक 22.04.2077 से खातेदार की आराजी नं. 34/1 रकबा 165 बीघा में से 74.12 बीघा भूमि सिलिंग में अवाप्त की जाकर बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गयी एवं शेष रकबा 90.08 बीघा भूमि जो कि खातेदार के स्वयं के नाम दर्ज रिकार्ड शेष बची थी को खातेदार ने साबिक रिकार्ड में अन्य व्यक्तियों को जरिये पंजीकृत बेचाननामे से विक्रय कर दी थी।

इस प्रकार खातेदार श्री भवानीदान चारण के नाम आराजी नं. 34/1 में कोई रकबा खातेदार के नाम साबिक रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड शेष नही बचा है। उक्त विक्रय पत्र में वर्णित भूमि रकबा 39 बीघा सिलिंग से प्रभावित होने के कारण विक्रय पत्र से अप्रार्थी के नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया था। उक्त भूमि अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु अप्रार्थी बजरंगदान चारण द्वारा दावा अतंर्गत धारा 88–89–207–209–188 आर.टी.ए. के तहत उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमे प्रकरण सं. 73/2007 निर्णय दिनांक 05.04.2010 से खारिज किया गया।

अप्रार्थी बजरंगदान चारण द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 05.04.2010 के विरूद्व प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा में प्रस्तुत की थी तथा उक्त अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहे जाने से दिनांक 23.09.2011 को अपील उठा ली गयी।

अप्रार्थी द्वारा न्यायालय गुलाबपुरा के निर्णय दिनांक 05.04.2010 व प्रथम अपील की कार्यवाही से संबंधित तथ्यों को छुपाया जाकर उक्त खरीदशुदा भूमि को हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर आसीन्द में प्रस्तुत किया। प्रकरण में पटवारी हल्का आमेसर व पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार आसीन्द द्वारा प्रभावी कार्यवाही नही की गयी। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के प्रभावी आदेश क्रमांक/राजस्व/2011/1668 दिनांक 25.07.2011 से ग्राम आमेसर के हाल आराजी नं. 251 रकबा 8.42 हैक्ट. भूमि में अप्रार्थी बजरंगदान चारण को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये गये। जिसकी पालना में तहसीलदार आसीन्द के नाम की तहरीर वाला उपखण्ड न्यायालय आसीन्द से प्राप्त करा पटवारी हल्का आमेसर को दी गयी। जिसके आधार पर पटवारी हल्का आमेसर द्वारा नामान्तरकरण सं. 1447 दर्ज किया जाकर बिना गिरदावर की जांच के ही डिक्री आदेश का नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत आमेसर से निर्णित करवा लिया। सरपंच ग्राम पंचायत आमेसर द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर उक्त डिक्री आदेश का नामान्तरकरण निर्णित किया गया है।

भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी किये गये मिलान क्षैत्रफल के अनुसार ग्राम आमेसर के हाल आराजी नम्बर 251 साबिक आराजी नम्बर 34/1 से बना हुआ नहीं होकर साबिक आराजी नं. 34 मी. से बना होना अंकित किया गया है।

तहसीलदार आसीन्द द्वारा उक्त आराजियात से संबंधित प्रकरण का रेफरेन्स बनाकर दिनांक 23.11.2011 को न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में प्रेषित किया गया जिसमें प्रकरण सं. 4/2011 दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 30.08.2013 से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया गया। राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण सं. रेफरेन्स/एलआर/6022/2013/भीलवाडा में निर्णय दिनांक 25.04.2017 को पारित किया जाकर रेफरेन्स खारिज कर अंकित किया कि उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आराजी नं. 34/1 मी के नये खसरा नं. 251 बनना नहीं बताया बल्कि हाल नक्शे का साबिक नक्शे से मिलान करने पर उल्लिखित नये नम्बरों पर नही होकर हाल खसरा नं. 251 रकबा 8.81 हैक्ट. पर सही बैठना बताया हैं। इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विवेचना नही की, जिसके अभाव में प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार करने योग्य नहीं है।

प्रकरण में रिपोर्ट पटवारी हल्का आमेसर से ली जाने पर प्रकट हुआ है कि हाल आराजी नं. 251 रकबा 8.87 हैक्ट. बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड होकर उक्त भूमि पर पुराना खनन कार्य होना पाया गया तथा मौके पर बजरंगदान चारण का नजरी नक्शा कब्जा होना पाया गया। आराजी नं. 251 मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक आराजी नं. 34/1 से बना हुआ नहीं होकर साबिक आराजी नं. 34 मी. से बना हुआ है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा द्वारा सिलिंग प्रकरण सं. 54 सन् 1971 निर्णय दिनांक 31.12.1971 से व्यथित होकर प्रार्थी के पिता भवानीदान चारण निवासी आमेसर ने

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के समक्ष अपील सं. 306 सन् 1973 उनवानी भवानीदान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के विरूद्व प्रस्तुत की जिसे राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर ने अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के पारित निर्णय दिनांक 31.12.1971 को निरस्त कर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर ने अपने आदेश दिनांक 15.02.1975 के पृष्ठ सं. 6 पर अंकित हस्तान्तरण क्रम सं. 01 से लगायत 5 व 11 को मान्यता प्रदान की गयी अर्थात उक्त क्रेतागण के खातेदारी को मानते हुए तथा खातेदार के परिवार के 10 सदस्य संख्या मानते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा को यह निर्देश दिये कि उक्त निर्देशों को मध्येनजर रखकर पुनः आदेश पारित किये जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा ने दिनांक 19.05.1975 को पुनः आदेश पारित करते हुए प्रार्थी के पिता के खाते में अंकित भूमि में से 31.50 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिग्रहण (सरप्लस) करने के आदेश प्रदान कर उक्त भूमि तहसीलदार आसीन्द को तुरन्त कब्जेराज लेने के निर्देश प्रदान किये गये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा ने पूर्व आदेश दिनांक 19.05.1975 के अनुसरण में दिनांक 26.05.1975 को स्पष्ट किया कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्णय अनुसार 17 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि के हस्तान्तरण को ओर मान्यता देने के फलस्वरूप कुल 31.50 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिग्रहण की जानी हैं, जिसमें से 2.50 स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर में पहले ही अधिग्रहण की जा चुकी है। अब केवल 29.00 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि ग्राम आमेसर में अधिग्रहण की जानी है तथा अपने निर्णय में संपूर्ण स्थिति स्पष्ट कर तहसीलदार आसीन्द को यह निर्देश दिये कि प्रार्थी के पिता भवानीदान चारण के खाते में ग्राम आमेसर के खसरा नं. 64 में से 29 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिग्रहण कर सरकार में निहित करने के आदेश पारित किये है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.1975 एवं स्पष्ट आदेश दिनांक 26.05.1975 के बाद पुनः प्रकरण बनाकर राजहित में नियमानुसार जांच नही की है। अतः विधिनुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा के समक्ष पेश किया। जिसके प्रकरण सं. 46 सन् 1980 दर्ज किया। बाद सुनवायी उक्त प्रकरण का दिनांक 31.01.1984 को निस्तारण कर निर्णय पारित किया कि प्रार्थी के पिता भवानीदान से 31.50 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिग्रहण योग्य उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा ने अपने निर्णय में माना हैं जो पूर्व में ही अधिग्रहण की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नही है। अतः प्रकरण प्रार्थी के पिता के विरूद्व समाप्त किया जाता है।

प्रार्थी ने अंकित किया कि सरपंच ग्राम पंचायत आमेसर द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर नामान्तरकरण सं. 1447 दिनांक 05.09.2011 को निर्णित किया गया, जिसे निरस्त कराने हेतु प्रार्थना की है।

रेफरेन्स प्रतिवेदन दिनांक 01.06.2018 को पंजीबद्व किया गया तथा विपक्षी को वज़ह जाहिर कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया।

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार एवं विपक्षी सं. 01 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को ही अपनी बहस में शामिल किया है।

विपक्षी सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दुओं

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

को अपनी बहस में समाहित करने हेतु निवेदन किया ।

प्रार्थी के प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का परीक्षण किया गया। प्रार्थी की ओर से पूर्व में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण सं. 4/2011 में दिनांक 30.08.2013 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एलआर/60/22/2013 जिला भीलवाडा में दिनांक 25.04.2017 को निर्णय पारित करते हुये आदेश दिये गये हैं कि **"उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार 34/1 मी. के नये नंबरों में खसरा नम्बर 251 बनना नहीं बताया बल्कि हाल नक्शे का साबिक नक्शे से मिलान करने पर उल्लेखित नये नम्बरों पर नहीं होकर हाल खसरा नं. 251 रकबा 8.81 हैक्ट. पर सही बैठना बताया हैं। इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विवेचना व विश्लेषण नही किया है। उपरोक्त बिन्दुओं पर सुस्पष्ट विवेचनाओं के अभाव में प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार योग्य नहीं हैं। प्रार्थी पक्ष सुस्पष्ट करने हेतु साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर पुनः रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।"**

प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार भू प्रबन्ध विभाग के मिलान खसरा अनुसार ग्राम आमेसर के साबिक आराजी नं. 34 मी. के हाल खसरा नं. 251 बनने की पुष्टि होती हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु सं. 7 के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के आदेश दिनांक 25.07.2011 में रिपोर्ट पटवारी व नायब तहसीलदार आसीन्द के अनुसार ग्राम आमेसर के साबिक आराजी नं. 34/1 मी. के हाल आराजी नं. 34 से 42, 75, 76, 86 से लगायत 98, 154, 155, 166, 168, 170 से लगायत 173, 182 से 198, 216 से लगायत 217, 228 से लगायत 238, 250, 267, 270, 281 से लगायत 285, 307 से लगायत 309 आदि बनना बताया, जबकि साबिक आराजी नं. 34/1 मी. के 251 नहीं बनते हैं, किन्तु हाल नक्शे से मिलाने करने पर बजरंगदान का कब्जा आराजी नं. 251 रकबा 8.81 हैक्ट. पर सही बैठना बताया। इस बिन्दु पर इस न्यायालय द्वारा विवेचना व विश्लेषण किया जाना हैं।

ग्राम आमेसर के साबिक आराजी नं. 34/1 मी. के साबिक नक्शे व हाल नक्शे के मिलान से हाल आराजी नं. 251 बनने या नहीं बनने संबंधी कोई ठोस साक्ष्य यथा नक्शा, विस्तृत सर्वे रिपोर्ट आदि तहसीलदार आसीन्द द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं कराये हैं। जिससे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देश के क्रम में समुचित विश्लेषण नहीं किया जा सकता हैं।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम एवं धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आसीन्द द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2011/1668 दिनांक 25.07.2011 के आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण सं. 1447 दर्ज कर ग्राम पंचायत आमेसर द्वारा स्वीकृत किया हैं। तत्समय उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के विधिक औचित्य व तत्कालीन परिस्थितियों का उल्लेख किसी भी दस्तावेज एवं नामान्तरकरण पर अंकित नहीं हैं।

इस न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.04.2017 में दिये गये न्यायिक निर्देशों के परिपेक्ष्य में ही प्रश्नगत प्रकरण का तहसीलदार आसीन्द द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का विश्लेषण किया जाना हैं। इस

संबंध में प्राप्त निर्देश के क्रम में अपने क्षैत्राधिकार का प्रयोग माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिये गये निर्णय को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना हैं। इस हेतु सूक्ष्म समीक्षा बाबत् तहसीलदार आसीन्द का विधिक उत्तरदायित्व हैं कि वह आवश्यक एवं पर्याप्त साक्ष्य एवं दस्तावेज इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः न्यायिक विनिश्चयन किया जा सके। प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में नवीन पर्याप्त मान्य दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिससे कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के परिपेक्ष्य में पुनः किसी प्रकार का विश्लेषण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा हैं। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 25.04.2017 की पालना में प्रार्थी तहसीलदार आसीन्द द्वारा सुसंगत एवं प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मध्येनजर वर्तमान में किसी निष्कर्ष पर नही पहुंचा जा सकता हैं।

इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण में उपर्युक्त वर्णित तथ्यात्मक विवरण एवं दस्तावेजों के अपूर्ण सामंजस्य के चलते इस न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी आसीन्द द्वारा पारित किये गये आदेश/निर्णय का गुणावगुण के आधार पर विश्लेषण करने हेतु अपने निहित क्षैत्राधिकार का उपयोग किया जाना संभव नहीं हो पा रहा हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनिमय 1956 के तहत पुष्ट एवं परिपूर्ण साक्ष्यों के अभाव में इस स्तर पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर अग्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में प्रार्थी तहसीलदार आसीन्द द्वारा सु–स्पष्ट, सु–संगत, समुचित एवं प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से इस स्तर पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स अग्रेषित नहीं किया जा सकता हैं। प्रकरण तहसीलदार आसीन्द को लौटाया जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)